प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**खण्ड पीठ:**

**माननीय श्री आई.एम. कुद्दुसी एवं**

**माननीय श्री एन.के. अग्रवाल, न्यायाधीशगण।**

**रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2685/2010**

याचिकाकर्तागण: ऋषिकेश प्रसाद एवं अन्य।

बनाम

उत्तरवादीगण: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य।

विचारणार्थ निर्णय

हस्ता/–
न्यायाधीश
28.08.2010

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री एन. के. अग्रवाल

मैं सहमत हूँ ।

हस्ता/–
एन. के. अग्रवाल
न्यायाधीश

31 अगस्त, 2010 को निर्णय हेतु सूचीबद्ध करे।

हस्ता/–
आई.एम. कुद्दुसी
न्यायाधीश

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 2685/2010**

याचिकाकर्तागण: ऋषिकेश प्रसाद एवं अन्य।

बनाम

उत्तरवादीगण: स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एवं अन्य।

**भारतीय संविधान के लेख 226 के अंतर्गत रिट याचिका**

**खण्ड पीठ: माननीय श्री आई.एम. कुद्दुसी एवं**

**माननीय श्री एन.के. अग्रवाल, न्यायाधीश।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---

श्री वी. जी. तामस्कर, याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता।

श्री बी. पी. मिश्रा, अधिवक्ता सहित श्री सी. आर. साहू, उत्तरवादीगण के अधिवक्ता।,

---

**निर्णय**

(31 अगस्त, 2010 को घोषित किया)

**न्यायमूर्ति आई.एम. कुद्दुसी के अनुसार**

1. याचिकाकर्तागण, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन भिलाई इस्पात संयंत्र के स्थायी कर्मचारी हैं और गैर-कार्यकारी संवर्ग से संबंधित हैं, ने दिनांक 21.5.2010 की नीति (अनुलग्नक पी/2) और दिनांक 21.5.2010

(अनुलग्नक पी/3), 25.5.2010 (अनुलग्नक पी/4) और 1.6.2010 (अनुलग्नक पी/5) के परिपत्रों को अकृत और शून्य घोषित करने के अनुरोध के साथ यह रिट याचिका दायर की है।

2. संक्षिप्त तथ्य, संक्षेप में, यह है कि याचिकाकर्ता भिलाई इस्पात संयंत्र के स्थायी कर्मचारी हैं और गैर-कार्यकारी संवर्ग से संबंधित हैं। वे कार्यकारी संवर्ग अर्थात जेओ (जूनियर अधिकारी) ईओ ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र हैं। याचिकाकर्तागण के अनुसार, चूंकि वे अन्य समान रूप से स्थित गैर-कार्यकारी अधिकारियों के साथ इस न्यायालय के समक्ष अपनी शिकायतों को उठा रहे हैं, कि रिट याचिका क्रमांक 1749/1996 में पारित आदेश दिनांक 16.7.2007 के अनुसार पदोन्नति के लिए उन पर विचार नहीं किया जा रहा है। उत्तरवादी क्रमांक 1 एक सरकारी कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है। एसोसिएशन के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों (कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 24 जनवरी, 1973 को शामिल) के लेख 84 (1) के अनुसार, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशकों को अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए उप-नियम बनाने चाहिए थे, लेकिन ऐसे उप-नियम नहीं बनाए गए हैं। प्रारंभिक चरण में भिलाई स्टील प्लांट हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड की एक इकाई थी। चूंकि भिलाई स्टील प्लांट एक उद्योग है, इसलिए इसके गैर-कार्यपालकों के नियम और शर्तें भी छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों द्वारा विनियमित हैं। उत्तरवादी क्रमांक 1 ने एसोसिएशन के ज्ञापन और एसोसिएशन के लेखों के लेख 84 (1) के तहत उप-नियमों को तैयार किए बिना पदोन्नति के लिए आक्षेपित नीति और परिपत्र जारी किए।

3. सार्वजनिक क्षेत्र की लौह एवं इस्पात कंपनियां (पुनर्गठन) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1978 (1978 का अधिनियम संख्या 16) {संक्षेप में 'अधिनियम, 1978') के अध्याय IV की धारा 14 में विघटित कंपनियों के अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. **विघटित कम्पनियों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से संबंधित उपबंध**-(1) प्रत्येक अधिकारी (जो किसी विघटित कम्पनी में नियत दिन से ठीक पहले ऐसी कम्पनी के किसी उपक्रम के संबंध में पद धारण करने वाला निदेशक या अन्य कर्मचारी न हो, धारा 6 में निर्दिष्ट स्थानांतरित इकाइयों के संबंध में ऐसा पद धारण करने वाले अधिकारी या अन्य कर्मचारी को छोड़कर, नियत दिन से एकीकृत कम्पनी की तत्स्थानी इकाई में उसी कार्यकाल और सेवा की उन्हीं शर्तों और निबन्धनों पर तथा सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों के साथ पद धारण करता रहेगा जो उसे उस स्थिति में प्राप्त होते यदि वह कम्पनी, जिसमें वह पद धारण कर रहा था, विघटित न हुई होती और

वह तब तक ऐसा करता रहेगा जब तक कि एकीकृत कम्पनी द्वारा ऐसे कार्यकाल और शर्तों में सम्यक् रूप से परिवर्तन नहीं कर दिया जाता।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों पर लागू सेवा शर्तों और स्थायी आदेशों से संबंधित नियम, नियत दिन से ठीक पहले की स्थिति में, तब तक लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें, यथास्थिति, एकीकृत कंपनी या अन्य प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से परिवर्तित नहीं कर दिया जाता।"

4. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेखों के लेख 84(1) में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि निदेशकों को कंपनी, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवसाय के नियमन के लिए समय-समय पर उप-नियम बनाने, उनमें परिवर्तन करने और उन्हें निरस्त करने की शक्ति होगी। लेख 84 के प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार उद्धृत हैं:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"84. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन और अधिनियम द्वारा प्रदत्त सामान्य शक्तियों और इन लेखों द्वारा प्रदत्त अन्य शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निदेशकों को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात्;

1) कंपनी, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवसाय के नियमन हेतु समय-समय पर उप-नियम बनाना, उनमें परिवर्तन करना और उन्हें निरस्त करना;

13) लेख 73(ख) (viii) के अधीन रहते हुए, ऐसे प्रबंधकों, सचिवों, अधिकारियों, लिपिकों, अभिकर्ताओं और कर्मचारियों को, जिन्हें वे समय-समय पर उचित समझें, स्थायी, अस्थायी या विशेष सेवा के लिए नियुक्त करना और अपने विवेकानुसार हटाना या निलंबित करना, तथा उनकी शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण करना, उनके वेतन या पारिश्रमिक निर्धारित करना और ऐसी स्थिति में और ऐसी राशि तक सुरक्षा की अपेक्षा करना, जैसा वे उचित समझें, तथा पूर्वोक्त प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समय-समय पर भारत में किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र में कंपनी के मामलों के प्रबंधन और संचालन हेतु ऐसी रीति से व्यवस्था करना, जैसा वे उचित समझें;

14) अधिनियम की धारा 292 के अधीन, निदेशकों में निहित सभी या किन्हीं शक्तियों, प्राधिकारों और विवेकाधिकारों को उप-प्रत्यायोजित करना, बशर्ते कि अंतिम नियंत्रण और प्राधिकार उनके पास ही रहे;

15) निदेशकों द्वारा ऐसे किसी भी प्रतिनिधि या पूर्वोक्त व्यक्ति को, उनमें निहित सभी या किन्हीं शक्तियों, प्राधिकारों और विवेकाधिकारों को उप-प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है;"

5. याचिकाकर्तागण के अनुसार, गैर-कार्यकारी से कार्यकारी संवर्ग में पदोन्नति की नीति, साथ ही वर्तमान रिट याचिका में जिन परिपत्रों पर आपत्ति की गई है, वे उप-नियम बनाए बिना जारी किए गए थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री वी. जी. तामस्कर ने तर्क दिया कि नीतिगत निर्णय परिपत्रों, पत्रों या कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से नहीं लिया जा सकता। उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पंजाब जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड बनाम रणजोध सिंह एवं अन्य 2007(2) एससीसी 491 मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सबसे पहले उत्तरवादीगण को कंपनी यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए उप-नियम बनाने थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और एसोसिएशन के ज्ञापन में कोई भी संशोधन केवल निदेशक मंडल द्वारा ही किया जा सकता है। कर्मचारियों और सेवकों की सेवा शर्तों में परिवर्तन करने से पहले पूर्व-निर्णयात्मक सुनवाई आवश्यक है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इस संबंध में उन्होंने सुखदेव सिंह एवं अन्य बनाम भगतराम सरदार सिंह रघुवंशी एवं अन्य (ए.आई.आर. 1975 एस.सी. 1331) मामले में दिए गए निर्णय का हवाला दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. अपने जवाब में, उत्तरवादीगण ने तर्क किया है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थ के अंतर्गत भारत सरकार का उद्यम, कंपनी है। उत्तरवादी कंपनी के पास देश भर के कई राज्यों में 65 स्थानों पर फैले अन्य इकाइयों और केंद्रीय विपणन संगठन के अलावा कई इस्पात संयंत्र, लौह अयस्क खदान, चूना पत्थर और डोलोमाइट खदान और कोयला

खदान हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी इकाइयों में से एक है। कंपनी के सभी संयंत्रों और इकाइयों में 1.16 लाख से अधिक कर्मचारियों कार्यरत है, जिसमें इसकी सभी शाखाओं और प्रधान कार्यालय के कर्मचारी शामिल हैं। गैर-कार्यकारी से कार्यकारी संवर्ग में पदोन्नति के प्रयोजन के लिए, सभी संयंत्रों और इकाइयों पर एक सामान्य नीति लागू है। जब भी आवश्यक पाया गया, निदेशक मंडल के अनुमोदन से नीति में संशोधन किया गया। उक्त नीति को अंतिम बार 30.10.2007 को निदेशक मंडल द्वारा संशोधित और अनुमोदित किया गया था। नीति को प्रसारित किया गया था और बाद में प्रतिवादी द्वारा 30.1.2008 के परिपत्र द्वारा अधिसूचित किया गया था। अंतिम पदोन्नति नीति 1988 से लागू थी। 30 अक्टूबर, 2007 को आयोजित अपनी 331वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा नई पदोन्नति नीति को बदलने का निर्णय लिया गया था। इसे सेल कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा प्रसारित किया गया था और भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा परिपत्र संख्या एम एंड आर 08/2008, दिनांक 31.1.2008 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था। इसके बाद, उपरोक्त नीति में परिपत्र क्रमांक 25/2008, दिनांक 6.5.2008 के माध्यम से संशोधन किया गया था। पदोन्नति नीति को भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा भी अधिसूचित किया गया था। कार्यपालक संवर्ग में पदोन्नति के लिए पात्रता की गणना एस-8 ग्रेड में प्रवेश से की जाती है। योग्यता अनुसार पात्रता इस प्रकार है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

| एस-8 और उससे ऊपर के ग्रेड में सेवा का वर्ष | तकनीकी स्ट्रीम में न्यूनतम योग्यता | गैर-तकनीकी स्ट्रीम में न्यूनतम योग्यता |
|---|---|---|
| 1 | इंजीनियरिंग में डिग्री या समकक्ष। | कोई निर्दिष्ट व्यावसायिक योग्यता |
| 4 | इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या समकक्ष/बी.एससी | स्नातक या समकक्ष |
| 9 | केवल तकनीकी स्ट्रीम में मैट्रिक या मैट्रिक+आईटीआई | |

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. चयन की प्रक्रिया इस प्रकार दी गई है जिसके अनुसार कि लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा किसी बाह्य एजेंसी द्वारा केंद्रीय स्तर पर आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी को परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे, जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 10% की छूट होगी। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम में 1:4 के अनुपात में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में 50% और साक्षात्कार में 20% अंक प्राप्त करने वालों को वरीयता दी जाएगी। प्रदर्शन रेटिंग 15% और अनुभव रेटिंग 15% होगी। उपरोक्त तरीके से प्राप्त संयुक्त अंकों के आधार

पर संयंत्रवार योग्यता सूची तैयार की जाएगी और योग्यता क्रम के अनुसार पदोन्नति की जाएगी। विवरणी में दी गई शेष शर्तें इस प्रकार हैं:

"(ग) कार्य-निष्पादन और आचरण संबंधी शर्तें:

(क) उम्मीदवार को पिछले तीन वर्षों में लगातार 'अच्छा' या उससे बेहतर रेटिंग प्राप्त होनी चाहिए।

(ख) उम्मीदवार अनुशासनात्मक और सतर्कता संबंधी दृष्टि से मुक्त होना चाहिए।

(घ) पदोन्नति की आवृत्ति: पदोन्नति हर दूसरे वर्ष की जाएगी। ये आदेश पदोन्नति वर्ष की 30 जून से प्रभावी होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ङ) पदोन्नति की संख्या: किसी संयंत्र/इकाई में पदोन्नति की संख्या आवेदकों की संख्या का अधिकतम 10% होगी।

(च) उम्मीदवारों की पात्रता पदोन्नति वर्ष की 30 जून की तिथि के अनुसार मानी जाएगी।

(छ) गैर-तकनीकी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारी जिनके पास मैट्रिक/मैट्रिक+आईटीआई योग्यता या तकनीकी क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट योग्यता है, वे तकनीकी क्षेत्र में पदोन्नति का विकल्प चुन सकते हैं।

इसी प्रकार, तकनीकी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी भी गैर-तकनीकी क्षेत्र में पदोन्नति का विकल्प चुन सकते हैं, बशर्ते उनके पास उस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट योग्यता हो।

ऐसे मामलों में, कर्मचारियों को अपने चुने हुए क्षेत्र के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा।

(ज) लिखित परीक्षा संयंत्र/इकाइयों में एक बाहरी एजेंसी द्वारा केंद्रीय रूप से आयोजित की जाएगी और एमटीआई एक समग्र समन्वय एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

(झ) लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, उम्मीदवारों को कुल अंकों में न्यूनतम 40% अंक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 30%) प्राप्त करने होंगे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(ञ) तकनीकी और गैर-तकनीकी क्षेत्रों के लिए क्रमशः कार्य प्रमुख और कार्मिक एवं प्रशासन प्रमुख के अधीन दो अलग-अलग विभागीय पदोन्नति समितियाँ गठित की जाएँगी। विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक प्रतिनिधि और कार्मिक विभाग के एक प्रतिनिधि सहित कम से कम तीन सदस्य होंगे। विभागीय पदोन्नति समिति उम्मीदवारों के लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, पिछले तीन वर्षों का मूल्यांकन और एस-8 एवं उससे ऊपर के ग्रेड में अनुभव के आधार पर अवरोही क्रम में योग्यता सूची तैयार करेगी।

(ट) अभ्यर्थी के पास पिछले तीन लगातार वर्षों में न्यूनतम 'बी' या समकक्ष मूल्यांकन (रेटिंग) होनी चाहिए।"

9. हमें इस बात पर विचार करना होगा कि उपनियमों का क्या अर्थ है। इसलिए, गैर-कार्यकारी से कार्यपालक संवर्ग में पदोन्नति के लिए बनाई गई नीति को उपनियमों की परिभाषा से बाहर नहीं रखा जा सकता। ये उपनियम ही हैं। पदोन्नति नीति के संबंध में जारी कोई भी परिपत्र उपनियमों का पूरक कहा जा सकता है और इसे अवैध नहीं कहा जा सकता। उत्तरवादी क्रमांक 1 के एसोसिएशन के लेखे 84 निदेशक मंडल को कोई भी संशोधन करने का अधिकार देता है और इसलिए पदोन्नति नीति या परिपत्रों में संशोधन को उप-नियमों में संशोधन कहा जा सकता है और इसे अवैध नहीं कहा जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. इसके अलावा, एसोसिएशन के लेखे 84 में निदेशकों को कंपनी, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों के व्यवसाय के नियमन के लिए समय-समय पर उप-नियम बनाने, उनमें परिवर्तन करने और उन्हें निरस्त करने की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, लेकिन यह निदेशकों को उप-नियम बनाने का आदेश नहीं देता। इस लेख में उप-नियम बनाना अनिवार्य नहीं है और न ही लेख में ऐसी कोई शर्त है कि यदि उप-नियम नहीं बनाए जाते हैं तो निदेशकों के कार्यकारी निर्देश अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाएँगे।

11. एसोसिएशन के लेखे 72 में यह प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 292 और 293 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, बोर्ड समय-समय पर अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक या किसी विभागीय प्रमुख को ऐसी शक्तियां सौंप सकता है और प्रदान

कर सकता है, जिन्हें वे उचित समझें और ऐसी शक्तियों को ऐसे समय के लिए और ऐसे उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिए और ऐसे नियमों और शर्तों पर और ऐसे प्रतिबंधों के साथ प्रदान कर सकते हैं, जिन्हें वे समीचीन समझें और समय-समय पर ऐसी सभी या किसी भी शक्तियों को रद्द कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं, बदल सकते हैं या उनमें बदलाव कर सकते हैं। इसलिए, निदेशक मंडल द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक या किसी अन्य विभागीय प्रमुख द्वारा भी किया जा सकता है। एसोसिएशन के लेख 84(14) में यह प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 292 के अधीन, निदेशकों को वर्तमान में निहित सभी या किन्हीं शक्तियों, प्राधिकारों और विवेकाधिकारों को उप-प्रत्यायोजित करने का अधिकार है, बशर्ते कि अंतिम नियंत्रण और प्राधिकार उनके पास ही रहे। एसोसिएशन के लेख 84(15) में यह प्रावधान है कि निदेशकों द्वारा पूर्वोक्त किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में निहित सभी या किन्हीं शक्तियों, प्राधिकारों और विवेकाधिकारों को उप-प्रत्यायोजित करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. एसोसिएशन के लेख 84(13) में यह प्रावधान है कि लेख 73(ख) (viii) के अधीन रहते हुए, निदेशक अपने विवेकानुसार ऐसे प्रबंधकों, सचिवों, अधिकारियों, लिपिकों, एजेंटों और सेवकों को स्थायी, अस्थायी या विशेष सेवा के लिए नियुक्त कर सकते हैं और हटा सकते हैं या निलंबित कर सकते हैं, जिन्हें वे समय-समय पर उचित समझें, तथा उनकी शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण कर सकते हैं और

उनके वेतन या परिलब्धियां निर्धारित कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में और ऐसी राशि तक सुरक्षा की मांग कर सकते हैं, जिसे वे उचित समझें, और पूर्वोक्त पूर्वाग्रह के बिना, समय-समय पर भारत में किसी भी निर्दिष्ट क्षेत्र में कंपनी के मामलों के प्रबंधन और संचालन के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें।

13. उपर्युक्त के मद्देनजर, निदेशकों को प्रबंधकों, सचिवों, अधिकारियों, लिपिकों, एजेंटों और सेवकों को नियुक्त करने, हटाने या निलंबित करने और उनके वेतन, परिलब्धियां आदि निर्धारित करने के व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं और इस प्रकार, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीतियां बनाई जा सकती हैं और परिपत्र जारी किए जा सकते हैं। जारी किया जाने वाला कोई भी परिपत्र, जिस पर तब तक प्रश्न नहीं उठाया जा सकता जब तक कि किसी के प्रति कोई पूर्वाग्रह न उत्पन्न हुआ हो या विवेकाधिकार का चुनौती नही दिया गया हो और यदि कोई भेदभाव या अवैधता का आरोप न लगाया गया हो, तो न्यायिक पुनर्विलोकन की गुंजाइश नहीं बचती।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. पी. यू. जोशी एवं अन्य बनाम महालेखाकार, अहमदाबाद एवं अन्य {(2003) 2 एससीसी 632) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:

"10. हमने दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। पदों के गठन, स्वरूप, नामकरण, संवर्ग, श्रेणियाँ, उनके

सृजन/उन्मूलन, योग्यताओं के निर्धारण और पदोन्नति के अवसरों सहित सेवा की अन्य शर्तों और ऐसी पदोन्नति के लिए आवश्यक मानदंडों से संबंधित प्रश्न नीति के क्षेत्र से संबंधित हैं और राज्य के अनन्य विवेक और अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जो निश्चित रूप से भारत के संविधान में परिकल्पित सीमाओं या प्रतिबंधों के अधीन हैं और किसी भी स्थिति में, वैधानिक न्यायाधिकरणों का यह कार्य नहीं है कि वे सरकार को भर्ती की कोई विशेष पद्धति या पात्रता मानदंड या पदोन्नति के अवसर निर्धारित करने का निर्देश दें या राज्य के विचारों के स्थान पर अपने विचार थोपें। इसी प्रकार, राज्य के अधिकार क्षेत्र में यह विकल्प पूरी तरह खुला है कि वह किसी सेवा से संबंधित नियमों में परिवर्तन कर सके और योग्यताओं, पात्रता मानदंडों और पदोन्नति के अवसरों सहित सेवा की अन्य शर्तों में समय-समय पर, प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार, परिवर्तन या संशोधन कर सके। इसी प्रकार, राज्य को उचित नियमों द्वारा विभागों का विलय करने या उन्हें और अधिक विभागों में विभाजित करने और आगे वर्गीकरण, विभाजन या विलय करके विभिन्न श्रेणियों के पद या संवर्ग बनाने का अधिकार है, साथ ही सेवा के स्वरूप और संवर्ग/श्रेणियों का पुनर्गठन और पुनर्संरचना भी कर सकता है, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक हो, मौजूदा संवर्गों/पदों को समाप्त करके और नए संवर्ग/पदों का सृजन करके। राज्य के किसी भी कर्मचारी को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि उसकी सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले नियम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हमेशा वही रहेंगे जो उसके सेवा में प्रवेश के समय थे, तथा किसी विशेष समय पर पहले से अर्जित, अधिग्रहीत या प्रोद्भूत अधिकारों या लाभों को सुनिश्चित करने या सुरक्षित रखने के अलावा, किसी सरकारी कर्मचारी को किसी मौजूदा सेवा से संबंधित नए नियमों को संशोधित करने, बदलने और लागू करने के राज्य के अधिकार को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है।

15. वर्तमान मामले में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि गैर-कार्यकारी संवर्ग से कार्यकारी संवर्ग में पदोन्नति नीति और परिपत्र, जिनका इस रिट याचिका में उल्लेख किया गया है, कर्मचारियों के साथ भेदभाव करते हैं या उनमें कोई अवैधता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. उपरोक्त के मद्देनजर, इस रिट याचिका में कोई बल नहीं है। अतः इसे खारिज किया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

| | |
|---|---|
| हस्ता/– | हस्ता/- |
| आई.एम. कुद्दुसी | एन. के. अग्रवाल |
| न्यायाधीश | न्यायाधीश |

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

**Translated By:- Miss Anjali Singh Chouhan (Advocate)**